



Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)

DEJURE RECOGNISED BY

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA

CAMP OFFICE: EB-106,II FLOOR,MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Website :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/295

दिनांक: 07.06.2021

द्वारा-ई-मेल

प्रति,

डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक
माननीय शिक्षा मंत्री,
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सभी परिलाभ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप प्रदान करने के संबन्ध में आग्रह ।

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से भारत सरकार के द्वारा लगातार केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे मे आते हैं के हितों के संबन्ध में दिन प्रतिदिन आदेश पारित किये जा रहे हैं इसके किये केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक एवं अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ भारत सरकार का आभार प्रकट करता है ।

महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विभाग है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय की नीतियों को सफल बनाने मे सदैव आगे रहते है ।

महोदय, कोरोना महामारी एवं अन्य बीमारियों के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक एवं कर्मचारी लगातार मृत्यु के शिकार हो रहे हैं । संघ को मृत शिक्षक एवं कर्मचारियों की जो सूचनाएँ एवं आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमे एक बहुत बड़ा वर्ग **नई पेंशन योजना (एनपीएस)** से जुड़ा हुआ है एवं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मृत कर्मचारियों एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को निम्न लाभ नहीं मिल रहे हैं :-

- यह कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है ।
- यह कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्त उपदान (Death cum Retirement Gratuity) का लाभ नहीं मिल रहा है ।
- यह कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का नई पेंशन योजना (एनपीएस) का अंशदान 14 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत ही काटा गया / काटा जा रहा है ।

- इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आते हैं के हितों के संबन्ध में जो आदेश पारित किये हैं का लाभ भी इनको नहीं मिल रहा है ।

महोदय, नई पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े शिक्षक एवं कर्मचारी की मृत्यु जिस दिन हो जाती है उसके दूसरे दिन से मृतक का परिवार दयनीय स्थिति में आ जाता है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ऊपर दर्शाये गये परिलाभ लागू नहीं होते हैं ।

महोदय, केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं वह सभी लाभ स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भी मिलने चाहियें । कर्मचारियों में इस प्रकार केन्द्र सरकार के कर्मचारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी के रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

महोदय, संघ का जनहित में आपसे आग्रह है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सभी परिलाभ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप प्रदान किए जायें एवं यदि ऐसा सम्भव न हो तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में परिवर्तित किया जाये

शीघ्र सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा में ।

सधन्यवाद ।

भवदीय,



मुकुट बिहारी अग्रवाल

राष्ट्रीय महासचिव

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय के निजी सचिव, भारत सरकार ।
2. माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ।
3. माननीय निजी सचिव, राज्य मंत्री(कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ।
4. माननीय सचिव (पी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निजी सचिव, भारत सरकार
5. माननीय निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ।
6. माननीय निजी सचिव, शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ।
7. माननीय सचिव (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) के निजी सचिव, भारत सरकार ।
8. माननीय निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ईई), शिक्षा मंत्रालय एवं वाइस-चेयरमैन, केवीएस ।
9. माननीय आयुक्त महोदया ,केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।
10. मननीयाअपर आयुक्त महोदया शैक्षिक /प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।
11. माननीय संयुक्त आयुक्त महोदय (शैक्षिक /प्रशासन/ कार्मिक/वित्त) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।